विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2025 के द्वितीय सोमवार के लिये निर्धारित श्री अरूण पाठक, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-10 का उत्तर।

प्रश्न	**उत्तर**
10(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि प्रवर्तन दल में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा पारित आदेश संख्या617/2024-25/क, दिनांक 5/8/2024 को समाप्त कर दी गयी थी एवं पुनः 627/2024-25/क, दिनांक 8/8/2024 बहाल कर दी गयी थी।	जी हाँ।
(ख) यदि हॉ, तो इनकी सेवा समाप्त का आदेश सेवा शर्तो के किस अनुबंध/नियम के उल्लंघन के कारण किया गया था और सेवा बहाली का आदेश सेवा शर्तो के किस अनुबंध/ नियम के आधार पर पुनः किया गया था ?	संबंधित कार्मिक एवं नगर निगम, कानपुर के मध्य हुए अनुबंध के प्रस्तर-5 में की गयी व्यवस्था के आधार पर प्रवर्तन अधिकारी के अनुशंसा पर सेवा समाप्ति का आदेश दिनांक 05.08.2024 निर्गत किया गया था। शासनादेश संख्या- 2133/नौ-7-18-6(ज)/2018, दिनांक 21.12.2018 द्वारा प्रवर्तन दल हेतु निर्गत एस0ओ0पी0 (S.O.P.) के प्रस्तर-26 में यह व्यवस्था है कि नियोक्ता 03 माह पूर्व नोटिस देकर या 03 माह का वेतन देकर अनुबंध तोड़ सकता है। उक्त के दृष्टिगत सेवा समाप्ति का आदेश दिनांक 05.08.2024 यथोचित नहीं होने के कारण पुनः सेवा बहाली का आदेश दिनांक 08.08.2024 निर्गत किया गया।
(ग) क्या यह शासनादेश संख्या 1489/नौ-7-18-6(ज)2018 दिनांक 22 सितम्बर, 2018 के प्राविधानों का उल्लंघन है ?	जी नहीं।
(घ) यदि हॉ, तो क्यों ?	उपरोक्तानुसार।

ए.के. शर्मा
मंत्री,
नगर विकास विभाग।